भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2201

09.12.2024 को उत्तर के लिए

देश में अधिसूचित बाघ संरक्षण अभयारण्य

2201. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय अधिसूचित वाघ संरक्षण अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में देश के गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ संरक्षण, छत्तीसगढ़ को अधिसूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) देश में बाघों की संख्या को परिरक्षित और संरक्षित करने में ये बाघ अभयारण्य किस प्रकार सहायक होंगे?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ;

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) देश में 57 बाघ रिजर्व अधिसूचित किये गये हैं।

(ख) से (ङ) जी हां, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v में निहित प्रावधानों के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व को अधिसूचित किया है।

(च) बाघ एक "मुख्य प्रजाति" है, इसलिए इसे प्रदान की गई सुरक्षा अन्य वन्य जीवों (सह-शिकारियों, शिकार) और वन में आबादी के संतुलन को भी सुनिश्चित करती है, जिससे सम्पूर्ण वन क्षेत्र/पर्यावास की पारिस्थितिकीय व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, बाघ और अन्य वन्यजीवों की मुख्य आबादी के अस्तित्व के लिए बाघ रिजर्व एक पारिस्थितिक अनिवार्यता बन जाता है।

*****